

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, RANCHI

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित विश्वविद्यालय)


फा.सं.झाकेवि/रा.भा/2023/सभी सूचना/01/1584

दिनांक - 20 सितंबर, 2023

कार्यालय आदेश

1. राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3(3) (फा.सं.13035-19/2018-रा.भा.ए. मंत्रालय का.आ.) के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत आनेवाले-कार्यालय आदेश, सूचना, अधिसूचना, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां/ टिप्पणियों/संविदाएं, करार, लाइसेंस, अनुबंध, निविदा फार्म की सूचना, क्रय/विक्रय संबंधी, सिविल/अन्य कार्य संबंधी, संकल्प, नियम, परिपत्र एवं अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार और जारी किए जाएं।
2. हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।
3. कार्यालय/व्यक्तियों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।
4. कम्प्यूटरों पर हिन्दी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उपयोग में लाये जाने वाले सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय किया गया है। यूनिकोड सक्रिय करने की प्रक्रिया राजभाषा विभाग की वेबसाइट में देखी जा सकती है। (www.rajbhasha.gov.in)
5. कार्यालयीन टिप्पणियाँ विशेषकर गैर-तकनीकी विषयों से संबंधित छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जाए। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें।
6. उपस्थिति रजिस्टर के अलावा अन्य रजिस्ट्रों में भी प्रविष्टियां हिन्दी में की जाए।
7. हिन्दी पत्राचार से संबंधित फाइलें, डायरी, प्रेषण (Dispatch) रजिस्टर इत्यादि अलग से रखे जाएं।
8. अवकाश स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचनाएं केवल हिन्दी में जारी किए जाएं।
9. विभागों/अनुभागों के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही में अपने यहाँ हिन्दी में किए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जाएं।
10. हिन्दी पुस्तकों की खरीद (पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ ग्रंथ छोड़कर) पुस्तकालय के कुल अनुदान में से 50 प्रतिशत राशि हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाए। (दिनांक 17.07.1992 का का.ज्ञा.सं. 20034/53/92-रा.भा. (अ.वि.)

सभी विभागों/अनुभागों के सक्षम अधिकारी/ कागजात के हस्ताक्षरकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त संबंधित दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करें और राजभाषा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें।


कुलसचिव

संलग्न - (फा.सं.13035-19/2018-रा.भा.ए. मंत्रालय के जांच बिंदु स्थापित करना)

प्रतिलिपि:

1. सभी संकायाध्यक्ष
2. पुस्तकालयाध्यक्ष
3. परीक्षा नियंत्रक
4. सभी विभागाध्यक्ष
5. उप कुलसचिव I-II/प्रभारी इ.इ./स्वास्थ्य केन्द्र/सभी सहायक कुलसचिव/जनसंपर्क अधिकारी
6. कुलपति/ कुलसचिव / वित्त अधिकारी के निजी सचिव
7. तकनीकी कक्ष - विश्वविद्यालय वेबसाइट
8. संबंधित फाइल/सूचना पट्ट/गार्ड फाइल